

253

निगण- 02986/ 2018/ रीवा/ मू- 510

समक्ष राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा संभाग रीवा म.प्र.



1- यदुनाथ बौद्ध तनय घासिल कुशवाहा उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी बिछिया चौपड़ा स्कूल के पास तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र.आवेदक

बनाम्

1- सोहन सिंह तनय स्व. विशेषर सिंह उम्र 62 वर्ष निवासी बिछिया चौपड़ा स्कूल के पास तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र.

2- जयप्रकाश पिता रघुनाथ कुशवाहा

3- रामगोपाल तनय जगदेव वर्मा

4- पप्पू तनय पुरुषोत्तम जोशी

5- टिकू तनय पुरुषोत्तम जोशी

6- नागेन्द्र पिता जगन्नाथ मिश्र सभी निवासी बिछिया चौपड़ा स्कूल के पास तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र.

7- शासन म.प्र. शासनादेश याचिका

.....अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका विरुद्ध सीमांकन पुष्टिकरण आदेश तहसीलदार तह. हुजूर दिनांक 30.07.2011 जरिए प्रकरण क. 187/अ 12/10-11 बाबत सीमांकन आराजी नं. 955 रकबा 0.097 हे. स्थित ग्राम रीवा (बिछिया) तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म. प्र.भू.रा.सं.वर्ष 1959 ई.

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण -

अ- यह कि आवेदक आराजी नं. 968/1 के अंश रकबा 0.875 हे. जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.11.1994 को श्यामकली पत्नी सूरजदीन से क्रय कर मुताबिक विक्रय पत्र भूमिस्वामी काबिज दखील चला आ रहा है।

.....2


253

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 2986 / 2018 / रीवा / भू-रा0

जिला-रीवा

यदुनाथ बौद्ध / सोहन सिंह

(1)	(2)	(3)
<p>18.12-18 18.12-18</p>	<p>1. आवेदक की ओर से श्रीमती गीता नामदेव अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 187/अ-12/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30.07.11 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20.02.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p>	

